संख्या–77जेड/6–सा–1–2013–4जी/12

प्रेषक,

चन्द्र भानु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
लखनऊ एवं गोरखपुर मण्डल
उत्तर प्रदेश ।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 2013

विषय आपातकालीन अवधि (दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/ लोकतंत्र सेनानियों को वित्तीय वर्ष–2012–2013 में सम्मान राशि स्वीकृत किये जाने हेतु धनराशि का आवटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 में दिनांक–25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपात कालीन अवधि में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को रू0 3000/– प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि दिये जाने हेतु रू0 1,36,32,000=00 (रू0 एक करोड़ छत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में (04 माह हेतु) पूर्व में आदेश दिनाक 26.09.2012 द्वारा जारी की गयी थी। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13 के शेष 08 माह के लिये **अवशेष धनराशि रू0 2,52,48,000=00 (रू0 दो करोड़ बावन लाख अड़तालीस हजार मात्र)** जैसाकि संलग्न परिशिष्ट में जिले के सम्मुख धनराशि दर्शायी गयी है, आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिस हेतु यह स्वीकृत की गई है।

3– उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद एवं शासन को भेजेंगे। यदि इसमें कोई कठिनाई होती है, तो उसका निराकरण सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। मण्डलायुक्तगण कृपया अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहां सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की

क्रमशः–2

गई उसे शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

5— यह भी निर्देशित किया जाता है कि लोकतंत्र सेनानियों को धनराशि वितरित करने के उपरान्त यदि किसी धनराशि की बचत होती है, तो उसे सरासय निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कल्याण परिषद, लखनऊ एवं शासन को समर्पित कर दिया जाय।

6— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—28 के लेखा शीर्षक—"2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—आयोजनेत्तर—60—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—03—आपात कालीन अवधि में मीसा एवं डी0आई0आर0 में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियो को सम्मान राशि का भुगतान—42—अन्य व्यय" के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला आयेगा ।

7— ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1—1515/दस—2012—23/2012 दिनांक 09.07.2012 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त

भवदीय,

(चन्द्र भानु)
सचिव।

संख्या—77(1)जेड/6—सा—1—2013—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट—प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यानिष्ठा भवन, 15—थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4— मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं गोरखपुर मण्डल, उत्तर प्रदेश।
5— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6— संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
7— निदेशक/सचिव, उत्तर प्रदेश, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
8— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
10— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—12
11— इन्चार्ज एन0आई0सी0 नेट सेल, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
12— बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–77जेड/6–सा–1–13–4जी/2012, दिनांक 26 फरवरी, 2013 का संलग्नक परिशिष्ट

अगस्त, 2012 से मार्च 2013 तक के लिये धनराशि का आवंटन

क्रम0	मण्डल	जनपद	लोकतंत्र सेनानियों की संख्या	धनराशि रू0 में
1	लखनऊ	लखनऊ	124	29,76,000/–
2		हरदोई	65	15,60,000/–
3		लखीमपुर खीरी	139	33,36,000/–
4		रायबरेली	70	16,80,000/–
5		सीतापुर	122	29,28,000/–
6		उन्नाव	20	4,80,000/–
7	गोरखपुर	गोरखपुर	220	52,80,000/–
8		कुशीनगर	69	16,56,000/–
9		देवरिया	165	39,60,000/–
10		महराजगंज	58	13,92,000/–
		योग–	1052	2,52,48,000/–
(दो करोड़ बावन लाख अड़तालीस हजार मात्र)				

(अखिलेश चन्द्र गुप्ता)
उप सचिव।